दिल्ली बजट 2016–17

मुख्य बातें

बजट 2016–17

1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का वर्ष 2016–17 का बजट 46600 करोड रू. का प्रस्तावित किया गया है:

- योजना बजट रु. 20600 करोड़
- गैर योजना बजट रु. 26000 करोड़

2 वर्ष 2016–17 में बजट अनुमान 46600 करोड़ रु. है, जो वर्ष 2015–16 के 37965 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान से 22.7 प्रतिशत अधिक है।

3 वर्ष 2016–17 में स्थानीय निकायों को कुल वित्तिय सहायता 6919 करोड़ रु. प्रस्तावित है जबकि वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में यह 5908 करोड़ रु. और सशोधित अनुमान में 5999 करोड़ रु. थी।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

4 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2015–16 में बढ़कर 558745 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है, जो वर्ष 2014–15 में 494460 करोड़ रु. था, इसमें 13 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

5 स्थिर मूल्यों पर, दिल्ली की जीएसडीपी में वर्ष 2015–16 में 8.34 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने की संभावना है, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 7.6 प्रतिशत है।

6 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2015–16 में बढ़कर 280142 रु. हो जाने की संभावना है जो वर्ष 2014–15 में 252011 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

7 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय जोकि 92931 रु. है, से करीब 3 गुना अधिक है।

8 दिल्ली में वर्ष 2015 में मंहगाई की दर 4.9 प्रतिशत रहीं जबकि चेन्नई में यह 7.8 प्रतिशत, मुम्बई में 7.4 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 5.7 प्रतिशत थी।

ईमानदार प्रशासन व जनता की सहभागिता

9 सरकार जनता के धन के उपयोग में ईमानदारी, निष्ठा और उसके अधिकतम सदुपयोग में विश्वास रखती है, तथा व्यर्थ व्यय में कटौती कर रही है।

10 स्वराज निधि कार्यक्रम के अंतर्गत एक भागीदारी पूर्ण बजट प्रक्रिया के रूप में सिटीजन लोकल एरिया डिवेलप्मेंट स्कीम का विस्तार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2016–17 में 350 करोड़ रु. का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

11 सरकार ने फैसला किया है कि विभिन्न समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान पब्लिक फाईनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किए जायेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उचित, पात्र व लक्षित व्यक्ति तक पहुँचे।

12 सार्वजनिक सेवाओ को पादरर्शी और सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसके लिए 200 प्रकार के शपथ–पत्र जमा करने और दस्तावेजो के सत्यापित करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

13 नागरिकों को पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में आम आदमी कैंटीनें शुरु करने का प्रस्ताव है इसके लिए वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ रु. का योजना परिव्यय आवंटित किया गया है।

शिक्षा

14 हमारी सरकार शिक्षा में तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपना रही है: प्रथम, समुचित सुविधाएँ और ढ़ॉचा प्रदान करना; दूसरे, समुचित संख्या मे योग्य और गतिशील शिक्षक सुनिश्चित करना और अंततः, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्वतियों में सुधार लाना ताकि विद्यार्थी न केवल उत्कृष्ट प्रोफेशनल बने, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और अच्छे मानव भी बने।

15 8000 नये क्लासरूम निर्माणाधीन हैं जोकि एक शिफ्ट में 200 नये स्कूल भवनों के समकक्ष हैं, और दोनों शिफ्टो में 400 स्कूलों के बराबर है।

16 प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति की गयी है जो स्कूल भवन और परिसरों की देख–रेख और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

17 शिक्षको और प्रधानाचार्यो का प्रोफेशनल विकास करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा और हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड जैसे विश्व के जाने–माने विश्वविद्यालयों में भेजा जायेगा जिसके लिए वर्ष 2016–17 में 102 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2015–16 में यह 9.4 करोड़ रु. था।

18 सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरु कर रही है, जिनमें खेल संगठनों को सरकारी स्कूलो के खेल के मैदानों में खेल आयोजित करने की अनुमति देना, 55 स्कूलों में विश्वस्तरीय फुटबाल के मैदान और टेनिस कोर्ट तैयार करना ताकि प्रत्येक बच्चे की पहुँच खेलों तक कायम की जा सके।

19 सरकार दिल्ली में एक स्पोर्ट्स स्कूल और एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया में हैं।

20 205 स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नौवीं कक्षा से प्रोफेशनल प्रशिक्षण शुरु किया जा रहा है। सभी स्कूलों में प्रोफेशनल पशिक्षण देने के लिए बजट में 152 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

21 सरकार राज्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम फिर से शुरु करने जा रही है जो 2006 में बंद कर दिया गया था।

22 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए रोहिणी और धीरपुर में अम्बेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय के नये परिसरों का निर्माण किया जाएगा।

स्वास्थ्य

23 सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक, क्षेत्रवार सुधार कर रही है और तीन स्तरीय स्वास्थ्य देख–भाल प्रणाली शुरु कर रही है, जो किसी भी राज्य की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा।

24 मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से नागरिको की दहलीज पर प्राथमिक चिकित्सा की जरूरतें पूरी करने का प्रस्ताव है, जो राज्य में स्वास्थ्य देखभाल का प्रथम स्तर होंगे और वर्ष के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिको की स्थापना की संभावना है।

25 किराये के भवनों में सूचीबद्व डाक्टरों के जरिए प्रयोग के तौर पर 100 मोहल्ला क्लिनिकों का संचालन शीघ्र शुरु किया जाएगा।

26 चिकित्सा की ऐसी स्थिति जिसमें विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता होगी, की देखरेख तीन स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर पर की जाएगी। सरकार का 150 पालिक्लिनिकों की स्थापना का प्रस्ताव है जिनमें से 20 पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

27 अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का तीसरा स्तर होंगे। उनका विकास मल्टी–स्पेशलिटी या सिंगल स्पेशलिटी केन्द्रों के रुप में किया जाएगा। वर्तमान अस्पतालों को नया रुप दिया जा रहा है जिससे दिल्ली में 10000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे।

28 कुछ अस्पतालों को सुपर–स्पेशलिटी स्तर या उत्कृष्ट केंद्रो के रुप में अपग्रेड किया जा रहा है। इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों के अनुकूल माहौल बनेगा।

29 सरकार ने क्षेत्रवार हेल्थ इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (एचआईएमएस) की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान के साथ हेल्थ कार्ड जारी करना शामिल है।

30 सरकार नैदानिक सुविधाओं का विस्तार करेगी और पीपीपी आधारित लैब और रेडियोलॉजी डायग्नॉस्टिक सेवाओं के जरिये अपनी क्षमताओं को बढायेगी।

31 कैट ऐंबुलेंसों के वर्तमान बेड़े का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिसमें 100 सामान्य और 10 अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट ऐंबुलेंस शामिल होंगी।

32 राज्य में फिलहाल 05 "वन स्टॉप सेंटर" काम कर रहे हैं, जो दुष्कर्म पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा, पुलिस, काउंसिलिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे दो और केंद्र जल्दी ही राव तुला राम अस्पताल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में काम करने लगेंगे।

सार्वजनिक यातायात

33 सरकार वर्ष 2016–17 में 1000 नई स्टैंडर्ड साइज यूबीएस–2 कम्प्लाएंट लो फ्लोर हाइट नॉन–एसी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें जोड़ने का प्रस्ताव है।

34 सरकार विशुद्ध रूप से बाजार संचालित मॉडल के जरिये 1000 प्रीमियम श्रेणी की बसें शुरू करेगी ताकि वित्तीय दृष्टि से सक्षम नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित किया जा सके।

35 द्वारका में नया आइएसबीटी बनाने का प्रस्ताव है। करीब 1397 नये बस क्यू शेल्टर पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव है।

36 ई–रिक्शा के लिए एक मुश्त नियत सब्सिडी की मौजूदा राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

37 इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स से छूट प्रदान करेगी।

38 वर्ष 2016–17 में फीडर बसों के बेड़े में करीब 248 नई मिनी बसें शामिल की जाएगी, जिनसे 93 रूटों पर इन बसों की कुल संख्या 517 हो जाएगी।

39 कॉमन मोबिलिटी पेमेंट कार्ड के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक टिकिटिंग मशीनें सभी बसों में लगायी जायेंगी, ताकि डीटीसी बसों, मेट्रो रेल और क्लस्टर बसों में बिना किसी बाधा के प्रवेश किया जा सके।

ढ़ांचागत सड़क निर्माण

40 जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से आइएनए (अरबिंदो मार्ग) तक बारापूला नाला फेज–2 के अंतर्गत एलीवेटेड रोड 2016–17 में और बारापूला नाला फेज–3 के अंतर्गत सराय काले खां से मयूर विहार तक दिसम्बर 2017 तक पूरा हो जायेगा।

41 आनंद विहार टर्मिनल से पीरागढी (पूर्व पश्चिम कारिडोर–29 किलामीटर) और वजीराबाद से एयरपोर्ट (उत्तर–दक्षिण कारिडोर–24 किलोमीटर) तक दो एलीवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने की योजना है।

42 सरकार सड़कों के डिजाइन में त्रुटियों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़कों की री–डिजाइनिंग पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत पैदल यात्रियों/साइकिल सवारों के लिए मार्ग तय करने का भी प्रयास किया जायेगा।

43 सार्वजनिक परिवहन और साइकलिंग को बढ़ावा देने तथा पैदल यात्रियों एवं विक्लांग जनों के लिए सड़कों को अनुकूल बनाने हेतु 2016–17 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 11 सड़कों की री–डिजाइनिंग की जायेगी।

पर्यावरण

44 06 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र वास्तविक आधार पर निरंतर प्रदूषण पर निगरानी रख रहें हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 09 करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त एक मोबाईल परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी वैन शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

45 "सड़कों का व्यापक रख–रखाव" नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जिसमें निम्नांकित उपाय शामिल होंगेः सड़कों की यंत्रीकृत सफाई, स्ट्रीट फर्नीचर और संकेतों की नियमित धुलाई और सफाई; यंत्रीकृत स्वीपर्स के जरिये मलबा/कचरा उठाना और डिसपोजेबल बायो–डिग्रेडेबल बैग्स का इस्तेमाल; फुटपाथों और भूमिगत मार्गो की समय–समय पर धुलाई; सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी कार्य।

46 सी एंड डी कचरे की इनहाउस री–साइकलिंग करने के लिए लिबासपुर और टिकरी बॉर्डर पर 500 मैट्रिक टन क्षमता वाली दो सी एंड डी वेस्ट हैंडलिंग यूनिटें बनायी जाएंगी।

47 प्रदूषण स्तरों/जनजागरूकता संदेश/यातायात सूचना आदि प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर एलईडी स्क्रीन लगायी जाएंगी।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षा

48 महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों मे वाई–फाई सेवाएं, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएंगे। सरकार ने टैक्सियों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली लगाना अनिवार्य बना दिया है, ताकि वाहनों की लोकेशन का पता लगाया जा सके।

49 सरकार ने बसों में सतर्कता बनाये रखने के लिए 4000 मार्शल भी तैनात किये हैं।

50 सड़कों, आवासीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समग्र सुरक्षा के लिए समूचे शहर में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली लगाने की एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है।

51 महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ सिविल डिफेंस वालंटियर्स के मौहल्ला रक्षक दल सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में गठित करने का प्रस्ताव है।

52 दिलशाद गार्डन, पीतमपुरा और वसंत गाँव में 2016–17 के दौरान 03 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाये जाएंगे जिनमें 200 कामकाजी महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

53 गीता कॉलोनी, जनकपुरी, सरिता विहार और वसंत कुंज में 04 वृद्धावस्था आश्रम बनाने और उस्मानपुर तथा दल्लूपुरा में मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए 02 गृह बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और परियोजनाएं कार्यान्यवन के विभिन्न चरणों में हैं।

54 सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 421 सड़क मार्गो के 42000 डार्क स्पाटो पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है।

जलापूर्ति एवं सफाई

55 सरकार ने दिसम्बर 2017 तक प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का एतिहासिक निर्णय किया है। वर्ष 2016–17 में 300 नई अनधिकृत कॉलोनियों को पाइप जलापूर्ति प्रदान की जाएगी।

56 दिल्ली जल बोर्ड वर्षा जल संग्रह का एक व्यापक कार्यक्रम, जलनिकायों के जीर्णोद्धार की नीति और ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना तैयार करेगा ताकि दिल्ली को किसी तरह के जलसंकट का सामना न करना पड़े।

57 अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं समयबद्ध ढंग से प्रदान करने के लिए सरकार ने सभी विकास कार्यों के लिए डीएसआइआइडीसी को एकल कार्यान्यवन एजेंसी नियुक्त किया है।

58 दिल्ली को "स्लम मुक्त" शहर बनाने के लिए सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के स्व–स्थाने पुनर्विकास और पुनर्वास का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए सीड मनी के तौर पर 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये हैं।

59 झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाने और दिल्ली को 'खुले में शौच जाने से मुक्त' क्षेत्र बनाने के लिए नए शौचालय ब्लाकों के निर्माण और वर्तमान जन–सुविधा परिसरों के जीर्णोद्धार/उन्नयन का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कायक्रम के लिए 100 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय प्रस्तावित किया है।

पर्यटन

60 दिल्ली पर्यटन विभाग शहर में पर्यटन के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने और दिल्ली को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल बनाने तथा उसे कला, संस्कृति, संगीत, थियेटर, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है।

61 दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एकल विंडो ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली शुरू की गई है और रेस्त्रां एवं होस्पिटलिटी उद्योग के लिए भी तत्संबंधी प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव है।

62 सरकार दिल्ली फेस्टिवल नाम का एक विश्वस्तरीय उत्सव मनाने की योजना बना रही है। यह ऐसा उत्सव होगा, जो दिल्ली की भावनाओं को व्यक्त करेगा और राज्य के नागरिकों में गौरव की भावना पैदा करेगा।

63 "ब्रैंड दिल्ली" नाम का एक नया अभियान शुरू करने और वेबसाइट, ऐप्स, मैप्स, सोशल मीडिया और माइक्रोसाइट्स के जरिए दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव है।

64 वर्ष 2016–17 में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार तक एक स्काईवॉक–वे विकसित करने का प्रस्ताव है, जो अपने तरह का पहला मार्ग होगा।

*****

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2016–17 के बजट के मुख्य अंश

- ❖ पारदर्शी, ईमानदार और प्रभावकारी शासन की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल राजस्व प्राप्ति में 17 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- ❖ दिल्ली के वितरक स्वरूप को बनाये रखने के लिए, कर नीति निर्धारण में उचित ध्यान रखा गया है।
- ❖ कुल कर राजस्व में, मूल्य सवंर्धित कर का लगभग 65 प्रतिशत योगदान है।
- ❖ कुछ आइटमों की अलग–अलग स्थानों पर कई प्रविष्टियों के कारण अस्पष्टता तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे व्यापारियों को परेशानी होती है। कर व्यवस्था के सरलीकरण के लिए ऐसी प्रविष्टियों को एक ही प्रविष्टि में समाहित करने का प्रयास किया गया है।
- ❖ व्यापारिक समुदाय की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से कर अनुपालन को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया है।
- ❖ बैटरी चालित परिवहन साधन अर्थात् ई–रिक्शा, बैटरी वाले वाहन तथा हाइब्रिड ऑटोमोबाइल पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
- ❖ मिठाई और नमकीनों पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
- ❖ 5000/–रुपये से अधिक मूल्य के रेडीमेट गारमेंटस पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
- ❖ मार्बल पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
- ❖ 5000/–रुपये मूल्य से अधिक की घड़ियों पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।
- ❖ टैक्सटाइल एवं फैबिकस् पर कर को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के टैक्सटाइलस् तथा फैबिकस् (जिसमें साड़ियां शामिल नहीं है) पर 5प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाना प्रस्तावित है।
- ❖ प्लास्टिक वेस्ट पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाना प्रस्तावित है।
- ❖ यूपीएस यूनिटस् पर मूल्य सवंर्धित कर को 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित है।
- ❖ वर्तमान में 500/–रुपये मूल्य से अधिक के जूते तथा 300/–रुपये मूल्य से अधिक के स्कूल बैग पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। कितना भी मूल्य होते हुए सभी प्रकार के जूतों तथा स्कूल बैगस् पर 5प्रतिशत की दर से मूल्य सवंधिर्त कर लगाना प्रस्तावित है।
- ❖ ''बिल बनवाओं ईनाम पाओं'' योजना को लाकर जनता की प्रभावकारी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- ❖ ''मार्केट एसोसिएशनों'' के लिए भी ईनाम की योजना शुरू की गई है।
- ❖ आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर राज को समाप्त होने तथा आबकारी शुल्क का बिन्दु ट्रांसपोर्ट परमिट लेवल से आयात परमिट लेवल पर स्थानान्तरित करने की वजह से आबकारी राजस्व वसूली में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- ❖ विलासिता कर से राजस्व वसूली में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मनोरंजन कर से राजस्व वसूली में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विलासिता कर की सीमारेखा मौजूदा 750/–रुपये से बढ़ाकर 1500/–रुपये प्रतिदिन प्रति कमरा करना प्रस्तावित है।
- ❖ विलासिता कर के मामले में स्व–घोषणा पद्धति प्रस्तावित है।
- ❖ पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि कई नए दस्तावेजों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके।
- ❖ हमारी सरकार पंजीकृत दस्तावेज के लिए जल्द ही ऑनलाइन सर्च की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव करती है, जिससे 1985 के बाद से सभी धरोहर आंकड़ों को स्केन, डिजिटिकृत किया जाएगा और आम लोगों को आसानी से सर्च के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।